REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032024-252888 CG-DL-E-12032024-252888

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1244] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945 No. 1244] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

का.आ. 1306(अ).— केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 444(अ), तारीख 12 जून, 1989 में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 29क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातु:-

"29क. तेलंगाना

टीजी" ।

[सं. आरटी-11036/09/2020-एमवीएल(भाग-2)]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 444(अ), तारीख 12 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. 2339(अ), तारीख 14 जुलाई, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2024

S.O. 1306(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport number S.O.444(E), dated the 12^{th} June, 1989, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

In the said notification, in the TABLE, for serial number 29A and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

"29A. Telangana

TG".

[No. RT-11036/09/2020-MVL(part-2)] MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, Section (3), Subsection (ii) vide S.O.444 (E), dated the 12th June, 1989 and was last amended *vide* S.O. 2339(E), dated the 14th July, 2020.